

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-891 / 2025

अनिल सनाढ्य

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कृषि एवं पंचायतीराज (कृषि) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. बट्टी लाल जाट, अधीक्षण अभियंता, शहर, परियोजना प्रबन्धक, वाटर शैड सेल सह डाटा सेंटर, जिला परिषद, राजसमंद।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025

आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में अधीक्षण अभियंता सह परियोजना प्रबन्धक के पद पर वाटरशैड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद राजसमंद में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पद अधीशाषी अभियंता दर्शाते हुए पदस्थापन/स्थानान्तरण अधीक्षण अभियंता सह परियोजना प्रबन्धक के पद पर वाटरशैड सेल कम डाटा सेंटर, जिला परिषद, केकडी में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी अधीक्षण अभियंता का पद धारित करता है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदनाम गलत अंकित करते हुए अधीशाषी अभियंता किया गया है, जो अनुचित है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अधीक्षण अभियंता है। आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदनाम गलत अंकित करते हुए अधिशाषी अभियंता किया गया है, जो अनुचित है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)